छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

सोमवार, दिनांक 16 फरवरी, 2009

(माघ - 27, शक संवत् 1930)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 4, 6, 7 एवं 8 (कुल 04) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 1, 2, 3, एवं 5 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, बोधराम कंवर, कुलदीप सिंह जुनेजा एवं डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 5 तारांकित एवं 11 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 04 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. बहिर्गमन

प्रश्नकाल समाप्त होते ही श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने पत्रकारों द्वारा उनके साथ यातायात पुलिस के व्यवहार संबंधित जानकारी देते हुए आसंदी से शासन को निर्देशित किए जाने का आग्रह किया गया।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री द्वारा जांच के लिए निर्देश संबंधी जानकारी दी गई।

शासन द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं किए जाने के विरोध में श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया ।

4.अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिक आयु) (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2008) पटल पर रखा।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008 पटल पर रखा।

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री अग्नि चंद्राकर, सदस्य ने जिला कबीरधाम, जनपद पंचायत पंडरिया में रोजगार गारंटी योजना की राशि का अपव्यय किए जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।
श्री भईयालाल राजवाड़े, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) सुश्री सरोज पाण्डेय, सदस्य ने रायपुर-दुर्ग फोरलेन में मापदंड अनुसार कार्य न किए जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।
श्री बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

7. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र सिहावा अंतर्गत ग्राम सिहावा से घटुला, आमानाला, बोराई मार्ग का अत्यंत जर्जर हो जाने,

(2) श्री महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने जिला-जांजगीर-चांपा, जैजेपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क निर्माण कार्य अपूर्ण होने,

(3) श्री दूजराम बौद्ध, सदस्य ने पामगढ़ से जांजगीर पहुंच मार्ग जर्जर स्थिति में होने,

(4) श्री गुरू रुद्र कुमार, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र आरंग के स्वास्थ्य केंद्र पर डाक्टरों की कमी होने, तथा

(5) श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सदस्य ने सारंगढ़ विकास खंड क्षेत्र अंतर्गत बरमकेला ब्लाक के मुख्य नहर लाईनिंग कार्य पर करोड़ों रूपए का व्यय किये जाने,
संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009)

श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) पुरःस्थापित किया ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु 15 मिनट का समय निर्धारित किया।

9. वर्ष 2009-2010 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के विभागों की मांगों पर पुनर्ग्रहीत चर्चा में डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए ।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री देवजी भाई पटेल, अग्नि चंद्राकर, फूलचंद सिंह, नंदकुमार पटेल,

(सभापति महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री संतोष बाफना, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री सेवकराम नेताम, चैतराम साहू, सौरभ सिंह, दूजराम बौद्ध।

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने कृषि से संबंधित मांग संख्या 13, पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 14, मछलीपालन से संबंधित मांग संख्या 16, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 54, एवं श्रम से संबंधित मांग संख्या 18 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-13 पर डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री लेखराम साहू एवं डॉ.शक्राजीत नायक, **मांग संख्या-14 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-16 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-54 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज एवं डॉ.शक्राजीत नायक, **मांग संख्या-18 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज एवं श्री अग्नि चंद्राकर, सदस्य

के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए ।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री नारायण चंदेल, अग्नि चंद्राकर, खेदूराम साहू, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती लक्ष्मी बघेल, सर्वश्री लेखराम साहू, विरेन्द्र कुमार साहू, परेश बागबाहरा, फूलचंद सिंह, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री मदनलाल साहू, देवजी भाई पटेल, दूजराम बौद्ध, शिवराज सिंह उसारे।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. वक्तव्य

पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार के संबंध में की जा रही जांच पर गृह मंत्री का वक्तव्य

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया कि दिनांक 14 फरवरी, 2009 को माननीय पत्रकारों द्वारा सदन की कार्यवाही की रिपोर्टिंग का बहिष्कार कर कहा गया कि उनके साथ यातायात के पुलिस अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है, इसलिये संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए।

इस प्रकरण में विस्तृत जांच पुलिस अधीक्षक रायपुर श्री अमित कुमार द्वारा की जा रही है। उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री बी.आर.हिरवानी एवं निरीक्षक श्री प्रमेश ध्रुव को उनकी वर्तमान पदस्थापना से हटा दिया गया है।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

11. वर्ष 2009-2010 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

(3) श्री विक्रम उसेंडी, वन मंत्री ने वन विभाग से संबंधित मांग संख्या 20 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-20 पर महंत रामसुंदर दास, डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री भोलाराम साहू एवं श्री लेखराम साहू, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री दीपक कुमार पटेल, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्री रविशंकर त्रिपाठी,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रमांक 6(4) तक का कार्य संपादित होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

सर्वश्री लेखराम साहू, सौरभ सिंह, श्रीमती सुमीत्रा मारकोले, सर्वश्री दूजराम बौद्ध, फूलचंद सिंह, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, शिवराज सिंह उसारे।

श्री विक्रम उसेंडी, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(4) श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने जल संसाधन विभाग से संबंधित मांग संख्या 23, आयाकट विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 40, लघु सिंचाई निर्माण कार्य से संबंधित मांग संख्या 45, जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 57, जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 75, उच्च शिक्षा से संबंधित मांग संख्या 44, विज्ञान और टेक्नालॉजी से संबंधित मांग संख्या 46 एवं तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग से संबंधित मांग संख्या 47 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-23 पर डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-40 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-45 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री लेखराम साहू, **मांग संख्या-57 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-75 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-44 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज एवं डॉ.शक्राजीत नायक, **मांग संख्या-46 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-47 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज,सदस्य
के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी ।

रात्रि 8.11 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 17 फरवरी, 2009 (माघ 28, शक संवत् 1930) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा